प्रेस नोट – जनपद बिजनौर दिनांक – 08.04.2025

"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के क्रम में 19वें हिस्ट्रीशीटर अभियुक्त को 03 वर्ष के कारावास व 13,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दंडित कराया गया।

कार्यवाहीः–

दिनांक 21.06.2020 को वादिया ने थाना नजीबाबाद पर तहरीर दी कि शहजाद कुरैशी पुत्र युसुफ कुरैशी निवासी मौ0 पठानपुरा थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर ने थाना नजीबाबाद द्वारा वादिया की पुत्री के साथ गाली-गलौच करते हुए छेडछाड की गयी तथा जान से मारने की धमकी दी। इस संबंध में थाना नजीबाबाद पर मु0अ0सं0 266/20 धारा 354/504/506 भादवि व धारा 7/8 पॉक्सो अधिनियम पंजीकृत किया गया था। विवेचना उपरान्त आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया।

उक्त अभियोग में स्थानीय पुलिस एवं मॉनिटरिंग सैल, अभियोजन द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके परिणामस्वरुप आज दिनांक 08.04.2025 को मा0 न्यायालय स्पेशल पॉक्सो अधिनियम, जनपद बिजनौर द्वारा मु0अ0सं0 266/20 धारा 323/504/506 भादवि व धारा 8 पॉक्सो अधिनियम के आरोपी **हिस्ट्रीशीटर शहजाद कुरैशी पुत्र युसुफ कुरैशी निवासी मौ0 पठानपुरा थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर** को 03 वर्ष के कारावास व ₹ 13,000 /- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

उल्लेखनीय है कि अभियुक्त शहजाद कुरैशी थाना नजीबाबाद का हिस्ट्रीशीटर (हिस्ट्रीशीट सं0 – 252A) अभियुक्त है, जिसके विरुद्ध थाना नजीबाबाद पर गोवध, शस्त्र अधिनियम, गैंगस्टर अधिनियम आदि गम्भीर धाराओं में आधा दर्जन से अधिक अभियोग पंजीकृत है।

दोषसिद्ध अभियुक्त का नाम पता –

शहजाद कुरैशी पुत्र युसुफ कुरैशी निवासी मौ0 पठानपुरा थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर

प्रेस नोटः- जनपद बिजनौर दिनांकः- 08.04.2025

"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के क्रम में 18वें हिस्ट्रीशीटर अभियुक्त को 3 वर्ष के कारावास व 3,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दंडित कराया गया।

कार्यवाहीः–

अवगत कराना है कि थाना मंडावली पुलिस द्वारा अभियुक्त सुनील पुत्र शेर सिंह निवासी ग्राम प्रेमपुरी थाना मंडावली जनपद बिजनौर को 50 ग्राम अवैध स्मैक सहित गिरफ्तार किया गया था। इस संबंध में थाना मंडावली पर दिनांक 06.12.2020 को मु0अ0सं0 226/20 धारा 18/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया था। उपरोक्त अभियोग में विवचना उपरान्त आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया।

इस अभियोग में स्थानीय पुलिस एवं मॉनिटरिंग सैल, अभियोजन द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके परिणामस्वरुप आज दिनांक 08.04.2025 को मा0 न्यायालय एडीजे-III/एनडीपीएस एक्ट बिजनौर द्वारा मु0अ0सं0 226/20 धारा 08/21 एनडीपीएस एक्ट के आरोपी **हिस्ट्रीशीटर अभियुक्त सुनील पुत्र शेर सिंह निवासी ग्राम प्रेमपुरी थाना मंडावली जनपद बिजनौर** को 03 वर्ष के कारावास व 3,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

उल्लेखनीय है कि अभियुक्त सुनील उपरोक्त थाना मंडावली का हिस्ट्रीशीटर अभियुक्त है, **जिसका हिस्ट्रीशीट नम्बर 65ए है, जिसके विरुद्ध थाना मंडावली पर एनडीपीएस एक्ट, शस्त्र अधिनियम, चोरी, आबकारी अधिनियम व गैंगस्टर एक्ट के करीब आधा दर्जन अभियोग पंजीकृत है।**

दोषसिद्ध अभियुक्त का नाम पताः-

सुनील पुत्र शेर सिंह निवासी ग्राम प्रेमपुरी थाना मंडावली जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना नूरपुर **दिनांक – 08.04.2025**

थाना नूरपुर पुलिस ने मु0अ0सं0 128/25 धारा 191(2)/191(3)/190/109(1)/351(3) बीएनएस से संबंधित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 07.04.2025 को वादी युसुफ उर्फ सोनू पुत्र लतीफ निवासी ग्राम पूरनपुर नगला थाना नूरपुर जनपद बिजनौर ने थाना नूरपुर पर तहरीर दी कि उसके गांव का ही निवासी अभियुक्त सफीक पुत्र यामीन उसके साथ रंजिश रखता तथा दिनांक 06.04.2025 को उसके द्वारा वादी को फोन पर जान से मारने की धमकी दी गई थी तथा आज दिनांक 07.04.2025 को अभियुक्त सफीक द्वारा अभियुक्तगण 1.फरदीन पुत्र नफीस, 2.हारून पुत्र फारूख निवासीगण ग्राम पूरनपुर नंगला थाना नूरपुर जनपद बिजनौर, 3.दीक्षित पुत्र परवेन्द्र निवासी ग्राम शाहपुर खेडी थाना स्योहारा जनपद बिजनौर, 4.कार्तिक पुत्र रवि निवासी ग्राम खानपुर बिल्लौच थाना नूरपुर जनपद बिजनौर, 5.मोनिस व 6.अभिषेक निवासी ग्राम सेह थाना शिवालाकलां जनपद बिजनौर जिनमे अभियुक्तगण फरदीन व हारून उपरोक्त के पास अवैध तमन्चे तथा अन्य अभियुक्तो के पास लाठी-डन्डे थे, को वादी को जान से मारने की नियत से वादी के घर पर भेजा जिनके द्वारा वादी पर जान से मारने की नियत से फायरिंग की गई तथा जान से मारने की धमकी देते हुए वहां से भाग गए। तहरीर के आधार पर थाना नूरपुर पर मु0अ0सं0 128/25 धारा 191(2)/191(3)/190/109(1)/351(3) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही –

थाना नूरपुर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग से संबंधित अभियुक्त शफीक पुत्र यामीन निवासी ग्राम पूरनपुर नंगला थाना नूरपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

शफीक पुत्र यामीन निवासी ग्राम पूरनपुर नंगला थाना नूरपुर जनपद बिजनौर

नोट – दिनांक 07.04.2025 को उपरोक्त अभियोग मे वांछित अभियुक्तों 1.फरदीन पुत्र नफीस निवासी ग्राम पूरनपुर नंगला थाना नूरपुर जनपद बिजनौर व 2.हारून पुत्र फारूख निवासी ग्राम पूरनपुर नंगला थाना नूरपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया जा चुका है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1.निरीक्षक अपराध नरेशपाल सिंह थाना नूरपुर जनपद बिजनौर

2.उ0नि0 श्री सुशील पंवार थाना नूरपुर जनपद बिजनौर

3.का0 1865 विकास कुमार थाना नूरपुर जनपद बिजनौर

4.का0 375 आकाश थाना नूरपुर जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना किरतपुर **दिनांक – 08.04.2025**

थाना किरतपुर पुलिस द्वारा हत्या जैसा जघन्य अपराध कारित करने वाले 03 अभियुक्तों को घटना में प्रयुक्त आला कत्ल सहित किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 07.04.2025 को वादी श्री भागेन्द्र पुत्र सीताराम निवासी ग्राम ननुपुरा थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर ने थाना किरतपुर पर तहरीर दी कि अभियुक्तगण 1.मानव उर्फ मन्टू पुत्र बलराज 2.मधु पत्नी बलराज 3.बलराज उर्फ बल्ले पुत्र अतरसिंह निवासीगण ग्राम गोविन्दपुर थाना किरतपुर जनपद बिजनौर 4.शालू पत्नी अनुज कुमार 5.अनुज कुमार पुत्र जसवन्त निवासीगण रायपुर बेरीसाल थाना मण्डावर जनपद बिजनौर द्वारा एक राय होकर योजनाबद्ध तरीके से वादी के भान्जे मोन्टी उर्फ सतेन्द्र पुत्र बलराज (अभियुक्त) निवासी ग्राम गोविन्दपुर थाना किरतपुर बिजनौर की गला काटकर हत्या कर दी। इस सम्बंध में थाना किरतपुर पर मु0अ0सं0 75/2025 धारा 103(1)/3(5)/61(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही –

थाना किरतपुर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग से सम्बंधित अभियुक्तगण 1.मानव उर्फ मन्टू पुत्र बलराज 2.मधु पत्नी बलराज 3.बलराज उर्फ बल्ले पुत्र अतरसिंह निवासीगण ग्राम गोविन्दपुर थाना किरतपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तगण की निशादेही पर आला कत्ल फरसा बरामद किया गया है। अग्रिम आवश्यक कार्यवाही प्रचलित है।

पूछताछ का विवरण –

पूछताछ के क्रम में यह तथ्य प्रकाश में आये कि अभियुक्त बलराज उर्फ बल्ले ने पहली पत्नी की मृत्यु के पश्चात मधु (अभियुक्ता) से दूसरी शादी की थी। बलराज उर्फ बल्ले का पहली पत्नी से एक पुत्र सतेन्द्र उर्फ मोन्टी है तथा दूसरी पत्नी मधु से मानव उर्फ मन्टु (अभियुक्त) है। शालू शादी के समय मधु के साथ ही आयी थी। बलराज उर्फ बल्ले के नाम करीब 20 बीघा जमीन है। मानव उर्फ मन्टु का सौतेला भाई मोन्टी उर्फ सतेन्द्र एक संगठन का कार्यकर्ता था और वह बलराज उर्फ बल्ले से अपने हिस्से की 10 बीघा जमीन अपने नाम कराना चाहता था तथा उस जमीन को गौ रक्षा के नाम पर किसी संस्था को दान देना चाहता था। इसी बात को लेकर घर में मोन्टी उर्फ सतेन्द्र की अपने पिता बलराज उर्फ बल्ले, सौतेले भाई मानव उर्फ मन्टु व सौतेली माँ मधु से अनबन रहती थी। इस कारण इन तीनो ने सतेन्द्र उर्फ मोन्टी की हत्या करने की योजना बनायी।

योजनानुसार दिनांक 06.04.2025 की रात्रि में मानव उर्फ मन्टु ने नींद की कुछ गोलियां घर मे बनी राजमा की सब्जी मे मिलाकर सतेन्द्र उर्फ मोन्टी को खिला दी, जिससे वह अत्यधिक नशे में हो गया। रात्रि करीब साढे बारह बजे उसने अपने सौतेले भाई सतेन्द्र उर्फ मोन्टी की गर्दन पर फरसे से वार कर हत्या कर दी। दिनांक 07.04.2025 की सुबह तीनों अभियुक्तों ने गुलदार द्वारा मोन्टी पर हमला करने की अफवाह फैला दी तथा बलराज व मधु तबियत खराब होने का बहाना कर जिला चिकित्सालय, बिजनौर मे भर्ती हो गये।

नोट – अभियोग में नामित अन्य अभियुक्तगण 1.शालू पत्नी अनुज कुमार व 2.अनुज कुमार पुत्र जसवन्त निवासीगण रायपुर बेरीसाल थाना मण्डावर जनपद बिजनौर के सम्बंध में अग्रिम विवेचनात्मक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

1.मानव उर्फ मन्टू पुत्र बलराज निवासी ग्राम गोविन्दपुर थाना किरतपुर जनपद बिजनौर
2.मधु पत्नी बलराज निवासी ग्राम गोविन्दपुर थाना किरतपुर जनपद बिजनौर
3.बलराज उर्फ बल्ले पुत्र अतर सिंह निवासी ग्राम गोविन्दपुर थाना किरतपुर जनपद बिजनौर

बरामदगी –

आला कत्ल फरसा (रक्तरंजित)
कपडे (रक्तरंजित)
प्लास्टिक की शीशी
एक ATIVAN दवाई का रेपर

अभियुक्त बलराज उर्फ बल्ले का आपराधिक इतिहास –

1.मु0अ0सं0 132/1990 धारा 307/323/504 भादवि थाना किरतपुर जनपद बिजनौर
2.मु0अ0सं0 23/1991 धारा 394 भादवि थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर
3.मु0अ0सं0 09/1991 धारा 457/380 भादवि थाना किरतपुर जनपद बिजनौर
4.मु0अ0सं0 121/1992 धारा 302/307/452 भादवि थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर
5.मु0अ0सं0 245/1993 धारा 25 आयुध अधिनियम थाना किरतपुर जनपद बिजनौर
6.मु0अ0सं0 841/2008 धारा 135 वि0 अधि0 भादवि थाना किरतपुर जनपद बिजनौर
7.मु0अ0सं0 75/2013 धारा 147/148/149/307/336/323/353/504 भादवि व क्रिमिनल लॉ एक्ट थाना किरतपुर जनपद बिजनौर
8.मु0अ0सं0 495/2016 धारा 138बी वि0अधि0 थाना किरतपुर जनपद बिजनौर
9.मु0अ0सं0 75/2025 धारा 103(1)/3(5)/61(2) बीएनएस थाना किरतपुर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1.श्री राकेश कुमार प्रभारी निरीक्षक थाना किरतपुर जनपद बिजनौर
2.हे0कां0 443 कपिल थाना किरतपुर जनपद बिजनौर
3.कां0 1996 अकुर राणा थाना किरतपुर जनपद बिजनौर
4.म0कां0 1137 आंचल थाना किरतपुर जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना स्योहारा   दिनांक 08.04.2025

थाना स्योहारा पुलिस ने चोरी की तीन घटनाओं को अनावरण करते हुए 03 अभियुक्तो को चोरी किए गए सामान सहित किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 26.11.2024 को वादी वादिया पूनम देवी पत्नी भूपेन्द्र कुमार निवासी ग्राम कासमाबाद थाना स्योहारा जनपद बिजनौर ने थाना स्योहारा पर तहरीर दी कि अज्ञात चोरों द्वारा ग्राम में बने पंचायत घर से दो इन्वर्टर व बैट्री चोरी कर लिए गए। तहरीर के आधार पर थाना स्योहारा पर मु0अ0सं0 572/2024 धारा 305/331(4) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

दिनाकं 05.04.2024 को वादी परवेज पुत्र फिरासत हुसैन निवासी मौहल्ला काजियान सहसपुर थाना स्योहारा जनपद बिजनौर ने थाना स्योहारा पर तहरीर दी कि अज्ञात चोर द्वारा वादी की दुकान से केबल,ड्रिल मशीन व पडोसी की दुकान से ट्रैक्टर से बैट्री चोरी कर ली गयी। तहरीर के आधार पर थाना स्योहारा पर मु0अ0सं0 124/2025 धारा 305(A) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

दिनांक 06.04.2025 को वादी सोहित कुमार पुत्र सुखवीर सिह नि0 ग्राम सुल्तानपुर थाना स्योहारा जनपद बिजनौर ने थाना स्योहारा पर तहरीर दी कि अज्ञात चोरो द्वारा वादी की दुकान से बैटरी चोरी कर लिया गया। तहरीर के आधार पर थाना स्योहारा पर मु0अ0स0 126/2025 धारा 305ए बीएनएस पंजीकृत किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान उपरोक्त अभियोग में अभियुक्तगण 1. अब्दुल गफ्फार पुत्र नसीम नि0 मौ0 साहूआन कस्वा व थाना धामपुर जनपद बिजनौर 2. फरमान पुत्र नवाब नि0 मौ0 मनिहारी सराय कस्वा व थाना धामपुर जनपद बिजनौर 3. शुएब पुत्र खलील नि0 मौ0 मनिहारी सराय कस्वा व थाना धामपुर जनपद बिजनौर के नाम प्रकाश में आए।

कार्यवाही –

थाना स्योहारा पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग से संबंधित अभियुक्त 1. अब्दुल गफ्फार पुत्र नसीम नि0 मौ0 साहूआन कस्वा व थाना धामपुर जनपद बिजनौर 2. फरमान पुत्र नवाब नि0 मौ0 मनिहारी सराय कस्वा व थाना धामपुर जनपद बिजनौर 3. शुएब पुत्र खलील नि0 मौ0 मनिहारी सराय कस्वा व थाना धामपुर जनपद बिजनौर को एक बैट्रा (संबंधित मु0अ0स0 126/2025 धारा 305ए/317(2) थाना स्योहारा जनपद बिजनौर)

, एक इन्वर्टर (संबंधित मु0अ0स0 126/2025 धारा 305ए/317(2) बीएनएस थाना स्योहारा जनपद बिजनौर) , एक बैट्रा (संबंधित मु0अ0स0 124/2025 धारा 305ए/317(2) थाना स्योहारा जनपद बिजनौर), एक बैट्रा (संबंधित मु0अ0स0 572/2024 धारा 305ए/331(4)/317(2) थाना स्योहारा जनपद बिजनौर) व एक केबिल का टुकडा लम्बाई करीब 12 मीटर (संबंधित मु0अ0स0 126/2025 धारा 305ए/317(2) थाना स्योहारा जनपद बिजनौर) सहित गिरफ्तार किया गया। अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

1. अब्दुल गफ्फार पुत्र नसीम नि0 मौ0 साहूआन कस्वा व थाना धामपुर जनपद बिजनौर
2. फरमान पुत्र नवाब नि0 मौ0 मनिहारी सराय कस्वा व थाना धामपुर जनपद बिजनौर
3. शुएब पुत्र खलील नि0 मौ0 मनिहारी सराय कस्वा व थाना धामपुर जनपद बिजनौर

बरामदगी –

चोरी किए गए 03 बैट्रे, 01 इन्वर्टर व एक केबिल।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

1.उ0नि0 मौ0 इशहाक थाना स्योहारा जनपद बिजनौर
2. हे0का0 689 पुष्पेन्द्र कुमार थाना स्योहारा जनपद बिजनौर
3.का0 96 प्रदीप कुमार थाना स्योहारा जनपद बिजनौर
4. का0 129 कुलदीप कुमार थाना स्योहारा जनपद बिजनौर
5. का0 310 बबलू कुमार थाना स्योहारा जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना कोतवाली शहर **दिनांक 08.04.2025**

थाना कोतवाली शहर पुलिस ने मु0अ0सं0 303/2025 धारा 303(2)/137(2) बीएनएस से संबंधित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 08.04.2025 को वादी रईसुद्दीन पुत्र अब्दुल रहमान निवासी मौ0 बुखारा निकट इमामबाडा बिजनौर ने अभियुक्त आसिफ पुत्र इसलामुद्दीन निवासी मौ0 बुखारा थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर द्वारा वादी घर के बाहर खडे छोटा हाथी रजि नं0 UP12BT4350 की बैटरी चोरी करने व आवाज होने पर वादी द्वारा मौके पर ही पकड लेने के संबंध मे थाना कोतवाली शहर पर मु0अ0सं0 303/2025 धारा 303(2)/137(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही –

थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग से संबंधित अभियुक्त आसिफ पुत्र इसलामुद्दीन निवासी मौ0 बुखारा थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर को बैट्री सहित गिरफ्तार किया गया। अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

आसिफ पुत्र इसलामुद्दीन निवासी मौ0 बुखारा थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

बरामदगी –

एक बैटरी

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना कोतवाली शहर **दिनांक – 08.04.2025**

थाना कोतवाली शहर पुलिस ने मु0अ0सं0 1154/2024 धारा 333/115(2)/109(1)/351(3) में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 19.12.2024 को वादिया द्वारा थाना कोतवाली शहर पर तहरीर दी गयी कि दिनांक 18.12.2024 को वादिया का भाई शकील अपने घर बैठा था । इसी दौरान अभियुक्तगण 1.इकबाल पुत्र नामालूम 2.शबनम पत्नी नामालूम 3.शबनम का पति नामालूम निवासीगण ग्राम रामपुर बकली थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर 4.नदीम पुत्र नामालूम निवासी नामालूम द्वारा वादिया, वादिया के पति व भाई के साथ जान से मारने की नियत मारपीट की गयी। तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली शहर पर मु0अ0सं0 1154/2024 धारा 333/115(2)/109(1)/351(3) बीएनएस बनाम उपरोक्त पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही –

थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त नदीम पुत्र इसरे निवासी मौहल्ला बुखारा थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

नोट – उपरोक्त अभियोग से संबंधित अभियुक्त मुक्कार पुत्र इकराम निवासी बक्शीवाला जौधूवाला रोड थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर को पूर्व में गिरफ्तार किया जा जा चुका है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

नदीम पुत्र इसरे निवासी मौहल्ला बुखारा थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

आपराधिक इतिहास –

1.मु0अ0स0 1154/2024 धारा 333/115(2)/109(1)/351(3) बीएनएस थाना को0शहर जनपद बिजनौर

2.मु0अ0स0 593/2021 धारा 323/498ए भादवि ¾ दहेज अधि0 व ¾ मुस्लिम विवाह अधि0 थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1.उ0नि0 संजीव कुमार थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

2.का0 2617 मोहित थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर